महिला चिकित्सक के आरोपों के बाद भाजपा जिला मंत्री पार्टी से निष्कासित

संवाद न्यूज एजेंसी

बिजनौर। महिला चिकित्सक के शोषण के आरोपों में घिरे जिला मंत्री प्रभात यादव को जिलाध्यक्ष ने पार्टी से निष्कासित कर दिया। चांदपुर पुलिस ने महिला चिकित्सक की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। बुधवार को सोशल मीडिया पर प्रभात यादव ने वीडियो जारी कर कहा कि पुलिस यह भी जांच करे कि वीडियो, फोटो कहां से आए और किसने वायरल किया।

मंगलवार शाम थाना चांदपुर में महिला चिकित्सक ने तहरीर में आरोप लगाए थे कि उसके पति की मौत के बाद उनके क्लीनिक पर प्रभात यादव अपनी पत्नी के साथ आने जाने लगा। इसी बीच प्रभात यादव ने खाने में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर दिया और बेहोशी की हालत में कुछ अश्लील फोटो और वीडियो अपने मोबाइल में ले लिए।

इसके बाद ब्लैकमेल कर शारीरिक और मानसिक रूप से शोषण किया। पुलिस ने भाजपा जिला मंत्री प्रभात यादव पर प्राथमिकी दर्ज कर ली थी। उधर बुधवार को भाजपा जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौहान ने प्रभात यादव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता एवं सभी दायित्वों से निष्कासित कर दिया।

चांदपुर थाने में शारीरिक शोषण व ब्लैकमेल कराने की दर्ज कराई थी प्राथमिकी

सोशल मीडिया पर प्रभात यादव ने रखा अपना पक्ष

बुधवार को प्रभात यादव भी सोशल मीडिया पर सामने आए। प्रभात यादव ने वीडियो में कहा कि उस पर जो आरोप लगे हैं, वह गलत हैं। उसने कोई पैसा नहीं लिया और न ही कोई वीडियो बनाई। यदि किसी ने वीडियो और फोटो लिए और वायरल किए हैं तो इसकी भी जांच होनी चाहिए वह कौन व्यक्ति है। पुलिस को निष्पक्ष जांच करके उन्हें सामने लाना चाहिए।

शरीयत के खिलाफ बताई आईवीएफ... पैदा हुई बच्ची को मारने की कोशिश

संवाद न्यूज एजेंसी

दौलताबाद निवासी विवाहिता ने ससुराल वालों के खिलाफ दर्ज कराई रिपोर्ट

दहेज उत्पीड़न, पिटाई और जमीन हड़पने के षड्यंत्र का भी लगाया आरोप

कोतवाली देहात। गांव हुसैनाबाद उर्फ दौलताबाद निवासी गुलशन ने अपने ससुराल वालों तथा जेठानी के मायके वालों पर आईवीएफ (इन विट्रो फर्टिलाइजेशन) तकनीक को शरीयत के खिलाफ बताते हुए इसके जरिए जन्म लेने वाली उसकी बच्ची को जान से मारने के प्रयास का आरोप लगाया है।

महिला ने दहेज उत्पीड़न, पिटाई करने और जमीन हड़पने का षड्यंत्र करने का आरोप लगाते हुए एसपी के आदेश पर छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।

गुलशन के अनुसार उसका विवाह फुरकान पुत्र मोहम्मद इस्माइल निवासी ग्राम दहीरपुर थाना नांगल के साथ लगभग 12 वर्ष पूर्व हुआ था। आरोप है कि ससुराल वाले अधिक दहेज की मांग को लेकर आए दिन उससे मारपीट करते थे।

पिछले वर्ष उसने अपने पति की सहमति से गाजियाबाद के एक अस्पताल में आईवीएफ तकनीक से गर्भधारण किया। इसका पता जेठ इमरान, जेठानी शमीमा तथा जेठानी के पिता शमीम निवासी ग्राम रहरा थाना हीमपुर दीपा को लगा तो उन्होंने जायदाद का बंटवारा होने के डर से षड्यंत्र रचते हुए यह प्रचार किया कि आईवीएफ तकनीक इस्लाम तथा शरीयत के खिलाफ है। इस तकनीक से गर्भ में पल रहे बच्चे को खत्म करने को कहा।

गुलशन का आरोप है कि बीती चार अप्रैल को जेठ, जेठानी, ससुर, पति फुरकान और जेठानी के पिता उसके मायके ग्राम दौलताबाद आए। उन्होंने उसकी पिटाई की तथा कहा कि आईवीएफ तकनीक से बच्चे को जन्म नहीं लेने देंगे। तब परिजनों के विरोध पर आरोपी चले गए। 20 अप्रैल को उसने एक बच्ची को जन्म दिया।

महिला का कहना है कि आरोपी उसकी पुत्री को मारने की धमकी दे रहे हैं। इस मामले में एसपी अभिषेक झा के आदेश पर पुलिस ने फुरकान, इमरान, शमीमा, इस्माइल, हनीशा और शमीम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मामले में थानाध्यक्ष विकास कुमार ने प्राथमिकी दर्ज होने की पुष्टि करते हुए बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।

तापमान

38.8° अधिकतम | 22.2° न्यूनतम

सूर्यास्त आज 7:07 शाम

सूर्योदय कल 5:29 सुबह

आज का पूर्वानुमान: कुरसीचर को भी तेज धूप निकलने व हल्की हवा चलने की संभावना

स्थानीय समाचार

मनोरंजन, शिक्षा, जानकारी की हर खबर amarujala.com पर

आज के कार्यक्रम

- **नमाज :** बिजनौर में ईदगाह पर ईद की नमाज सुबह सात बजे।
- **नमाज :** कालागढ़ की केंद्रीय कॉलोनी में वैलफेयर क्लब के परिसर ईद की नमाज सुबह आठ बजे।
- **नमाज :** पुराना कालागढ़ बाजार इस्लामनगर मस्जिद में नमाज सुबह सवा आठ बजे।
- **महामंत्र जाप :** धामपुर के श्रीशांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, छोटा जैन मंदिर में सकल जैन समाज की ओर से णमोकार मंत्र जाप कार्यक्रम सुबह नौ बजे।
- **श्रीमद्भागवत कथा :** बरकी क्षेत्र के गांव शादीपुर में श्रीमद्भागवत कथा शाम पांच बजे।

एकेडमी में तब्दील हुए मदरसे का नहीं मिला संचालक

नजीबाबाद। नगर से सटी ग्राम पंचायत मौअज्जमपुर तुलसी में एक मदरसा के स्थान पर संचालित हो रही ग्लोबल एकेडमी की जांच के लिए अधिकारी पहुंचे लेकिन संस्था पर ताला और संचालक न मिलने पर जांच अधिकारी को बगैर जांच के लौटना पड़ा। डीएम जसजीत कौर ने तहसील क्षेत्र की ग्राम पंचायत मौअज्जमपुर तुलसी में ग्लोबल एकेडमी में तब्दील मदरसे की जांच के निर्देश दिए थे। एसडीएम व सीओ ने इसकी जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी राज मोहन के निर्देशन में गठित टीम को सौंपी थी। बुधवार को खंड शिक्षा अधिकारी चर्चाओं में आई संस्था की जांच के लिए पहुंचे लेकिन संस्था पर ताला और संचालक के न मिलने पर जांच टीम को बगैर जांच लौटना पड़ा। संवाद

कागजों के कोल्ड रूम में खिड़की से आ रहे गर्म हवा के झोंके

लू से बचाव के लिए स्वास्थ्य केंद्रों में बने कोल्ड रूम के दावे फेल, खिड़की पर नहीं लगे पर्दे, कूलर में नहीं मिला पानी

लाइव

संवाद न्यूज एजेंसी

स्योहारा सीएचसी में कोल्ड रूम में आती धूप और बिना पानी के रखा कूलर। संवाद

सीएचसी समीपुर में गर्मी में बैठी मरीज सना व तीमारदार मां। संवाद

सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर लू से बचाव को कोल्ड रूम बनाने के निर्देश जारी किए गए थे। जहां कोल्ड रूम में अव्यवस्था मिली है, उनका केंद्र प्रभारियों का जवाब तलब किया जाएगा। साथ ही व्यवस्था सुदृढ़ की जाएगी। -डॉ. कौशलेंद्र सिंह, सीएमओ, बिजनौर

बिजनौर। कहने को तो स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएचसी व पीएचसी पर लू से बचाव के लिए कोल्ड रूम बना दिए हैं लेकिन कोल्ड रूम सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह गए हैं। हकीकत में कोल्ड रूम में खिड़की से गर्म हवा के झोंके मरीजों को झुलसाने का काम कर रहे हैं। वार्ड में कई जगह कूलर ही नहीं लगे हैं। जहां कूलर लगे हैं, वहां उनमें पानी की व्यवस्था नहीं है।

■ **नजीबाबाद में कोल्ड रूम में अव्यवस्था, मरीज बेहाल :** भीषण गर्मी और लू के प्रकोप के बीच सीएचसी व पीएचसी में बनाए गए कोल्ड रूम अव्यवस्था के ताप में तप रहे हैं। कक्ष को ठंडा बनाने के लिए एसी तो दूर कूलर भी नहीं चल रहे हैं। लो वोल्टेज होने से पंखे गर्म हवा फेंक रहे हैं। सीएचसी समीपुर में बने कोल्ड रूम में कूलर की भी व्यवस्था नहीं थी।

तीमारदार अनीस अहमद ने बताया कि बिजली जाने के बाद जनरेटर नहीं चलाया जाता। चार दिन से भर्ती बच्ची सना के साथ तीमारदार ने कहा कि गर्मी में बुरा हाल है एसी, कूलर कुछ नहीं है। वहीं, एक कक्ष की टूटी खिड़की से सीधे कक्ष में आती गर्म हवा से मरीज बेहाल नजर आए। पीएचसी में लू से बचाव के लिए दो बेड की व्यवस्था की गई है। कक्ष में कूलर व पंखे बंद मिले। समीपुर सीएचसी प्रभारी प्रमोद देशवाल ने बताया कि सीमित संसाधन के साथ व्यवस्था को दुरुस्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

■ **स्योहारा में कोल्ड रूम में खुली खिड़की से आ रही गर्म हवा, बंद मिला कूलर :** सीएचसी में कोल्ड रूम बनाए जाने के बड़े-बड़े दावे हकीकत में बिल्कुल उलट दिखाई दिए। कोल्ड रूम में न तो ठंडक की समुचित व्यवस्था मिली और न ही साफ-सफाई का कोई इंतजाम दिखाई दिया। कक्ष में एसी की जगह एक पुराना और जर्जर कूलर रखा मिला, जिसमें पानी तक नहीं भरा गया था। वार्ड की खिड़कियां खुली पड़ी थीं और उन पर पर्दे लगे हुए नजर नहीं आए। जिससे बाहर की गर्म हवा सीधे अंदर प्रवेश कर रही थी। वार्ड में एक बेड पर पड़ी चादर खून के धब्बों से सनी मिली। इसके अलावा कमरे में रखा कूड़ेदान बायोमेडिकल वेस्ट से भरा हुआ था, जिससे पूरे कमरे में बदबू आ रही थी।

■ **धामपुर में सीएचसी पर चलते मिले पंखे, दे रहे गर्म हवा :** भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक को देखते हुए सीएचसी, पीएचसी पर व्यवस्था की गई है। केंद्र के प्रतीक्षालय, वार्ड, लैब और विभिन्न कक्षों में पंखे चलते मिले लेकिन गर्मी अधिक होने से पंखे भी गर्म हवा दे रहे हैं। केंद्र पर एक्स-रे मशीन संचालित न होने के कारण मरीजों को बिना एक्स-रे कराए ही लौटना पड़ा।

वार्ड के अंदर नहीं, बल्कि परिसर में ठंडे पानी के लिए दो वाटरकूलर लगे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी चिकित्सक डॉ. मानस चौहान का कहना है कि भीषण गर्मी में हीट स्ट्रोक को देखते हुए केंद्र पर पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई है। विद्युत आपूर्ति न होने पर जनरेटर से सप्लाई दी जा रही है।

अफजलगढ़ में कोल्ड रूम के नाम पर की गई खानापूर्ति

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आपातकालीन कक्ष को ही रोगियों के लिए कूल रूम बनाया जा रहा है। वार्ड में ठंडे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आपातकालीन कक्ष के बाहर लगे अरुओ पर ही पूरा अस्पताल निर्भर है। कोल्ड रूम के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई है। वहीं, चिकित्सक रोगियों का इलाज भी कर रहे हैं। सीएचसी पर जेनरेटर का अभाव है, बिजली के आने व इन्वर्टर चार्ज होने पर ही पंखे चलते हैं। वहीं प्रसव कक्ष की बैट्री भी एक सप्ताह से अधिक समय से खराब है। सीएचसी में डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए दवाइयां, ओआरएस व ग्लूकोज आदि पर्याप्त हैं।

पति की हत्या में पत्नी समेत चार को उम्रकैद

संवाद न्यूज एजेंसी

अदालत से

बिजनौर। अपर सत्र न्यायालय तथा फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधीश शहजाद अली ने पति की हत्या के मामले में पत्नी समेत चार आरोपियों को दोषी ठहराया है। इन सभी को आजीवन कारावास और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।

दोषियों में मृतक रहीस की पत्नी दिलशाना, उसका प्रेमी जावेद अली, अब्दुल वाहिद और आकाश शामिल हैं। यह हत्या अवैध संबंधों में बाधक बनने के कारण की गई थी। राजन कुमार नामक व्यक्ति ने 28 अगस्त 2024 को सुबह एक लाश देखी थी। यह लाश गन्ने के खेत के पास सड़क किनारे नाली में पड़ी थी।

शव पर चाकू के चार के निशान थे। बाद में शव की पहचान हरिद्वार निवासी रहीस के रूप में हुई। विवेचना में पता चला कि रहीस की मां ने दिलशाना और जावेद अली को आपत्तिजनक हालत में देखा था। उन्होंने इसकी शिकायत रहीस से की थी, जिस पर रहीस ने दिलशाना को धमकाया था।

हत्या की साजिश

27 अगस्त 2024 की रात जावेद अली रहीस को घर से बुलाकर अपने साथ ले गया था। अगले दिन सुबह रहीस का शव बरामद हुआ। सीसीटीवी फुटेज में जावेद अली रहीस के साथ जाता दिखाई दिया। विवेचना से स्पष्ट हुआ कि दिलशाना ने अपने अवैध संबंधों में बाधक बन रहे पति की हत्या की साजिश रची थी। उसने जावेद अली, अब्दुल वाहिद और आकाश के साथ मिलकर रहीस की हत्या कर शव नाले में फेंक दिया था।

■ **न्यायालय का फैसला :** न्यायाधीश शहजाद अली ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाया। उन्होंने जावेद अली, दिलशाना, अब्दुल वाहिद और आकाश को हत्या का दोषी पाया। न्यायालय ने सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। साथ ही, प्रत्येक दोषी पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले से न्याय की जीत हुई है।

रहीस हत्याकांड में पत्नी सहित चार को आजीवन कारावास की सजा

बिजनौर। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी शहजाद अली ने रहीस हत्याकांड में सुनवाई करते हुए उसकी पत्नी सहित चार अभियोगियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। महाधिवक्ता जिला शासकीय अधिवक्ता प्रमोद शर्मा ने बताया कि रहीस की पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर सुपारी देकर उसकर हत्या करा दी थी। उसका शव 28 अगस्त 2024 को मधुरपुर मोर स्टोन क्रेशर के पास पड़ा मिला था। पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा करते हुए पत्नी सहित चार अभियोगियों को जेल भेज दिया था। विवेचना पूरी होने के बाद विवेचक ने चारों आरोपियों रहीस की पत्नी दिलशाना, जावेद अली, अब्दुल वाहिद, आकाश के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी शहजाद अली ने रहीस हत्याकांड के सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। संवाद

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank

...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!

मण्डल कार्यालयः एआरएमबी, बंसत विहार कॉलोनी निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701, ईमेल- cs8204@pnb.co.in

नीलामी सूचना
E-Auction के द्वारा

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) [नियम 8(6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी विक्रय हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के [नियम 8 (6)/9(1)]/[नियम 6(2)] के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल/चल आस्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस।

आम लोगों का तथा विशेष रूप से ऋणी (ओं)/गारन्टर (ओं) उधार लेने वाले और प्रत्याभूति–दाता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति जो प्रतिभूति लेनदार के पास दृष्टिबंधक/बंधक/प्रभारित है का **सांकेतिक (विवरण नीचे उल्लिखित) कब्जा** प्रतिभूति लेनदार के **प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक** द्वारा लिया गया है, को **"जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है"** के आधार पर **पंजाब नैशनल बैंक नीचे उल्लिखित ऋणी**/ गारन्टरों की बकाया राशि की वसूली हेतु नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथियों को बेची जायेगी। प्रत्येक संपत्ति का रिजर्व मूल्य एवं अर्नेस्ट मनी विवरण नीचे उल्लिखित है, तथा संपित्तयों का ज्ञात प्रभार का संक्षिप्त विवरण, यदि कोई हो, के रूप में नीचे उल्लेख किया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया सुरक्षित क्रेडिटर्स वेबसाइट में दिए गए लिंक को देखें **BAANKNET.COM**

क्र0 सं0	शाखा/ऋणी/गारन्टर का नाम व पता	अचल सम्पत्ति का विवरण बंधक/मालिक का नाम (संपत्ति के बंधक)	(ए) सरफेसी एक्ट के मांग नोटिस 13(2) की तिथि (बी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के तहत मांग सूचना (ई) कब्जे के प्रकार प्रतीकात्मक/भौतिक/सांकेतिक	(ए) रिर्जव मूल्य (लाख में) (बी) ईएमडी (सी) बोली वृद्धि राशि	बैंक को ज्ञात लेनदारों के प्रभार का विवरण
	ई–नीलामी दिनांक 16.06.2026 समय सुबह 11.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक				
1	**शाखाः बुंदकी, बिजनौर** **ऋणीः** मैसर्स शिव ट्रेडस प्रोपराइटर (प्रोपराइटर फर्म), श्री सुमित कुमार पुत्र श्री गीता राम (प्रोपराइटर/बंधककर्ता) एवं **गारन्टर/बंधककर्ताः** श्री सोहिल कुमार पुत्र श्री गीता राम, श्री शवि कुमार पुत्र श्री गीता राम, श्रीमती आभा देवी पत्नी श्री गीता राम और श्री भीष्म सिंह पुत्र हरकेश सिंह।	बंधक सम्पत्ति स्थित ग्राम- औरंगपुर फट्टा, परगना किरतपुर, तहसील- नजीबाबाद, जिला-बिजनौर (सम्पत्ति स्वामी श्री सुमित कुमार, श्री सोहिल कुमार, श्री शवि कुमार, सभी पुत्र श्री गीता राम, श्रीमती आभा देवी पत्नी श्री गीता राम एवं श्री भीष्म सिंह पुत्र श्री हरकेश), कुल माप क्षेत्रफल 0.415 हैक्टेयर अर्थात् 4150 वर्ग मीटर, बही नं0 1, जिल्द नं0 9943, पेज नं0 321 से 334, क्र0सं0 3562, दिनांक 06.05.2020, सब-रजिस्ट्रार ऑफिस नजीबाबाद, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। सीमाएँः- पूर्वः सुमित कुमार आदि की भूमि एवं भीष्म सिंह की भूमि, पश्चिमः रास्ता, उत्तर- रास्ता एवं सुमित कुमार आदि की भूमि एवं उमेश कुमार की भूमि, दक्षिणः सुमित कुमार का रास्ता एवं देवेन्द्र कुमार की भूमि।	(ए) 18.09.2023 (बी) रू0 **46,94,444.98** + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.09.2023 (सी) सांकेतिक	रू0 56,14,000/- रू0 5,61,400/- रू0 1,00,000/-	ज्ञात नहीं
2	**शाखाः एआरएमबी, बिजनौर** **ऋणी फर्मः** मैसर्स ओम खादी सेवा संस्थान। **प्रोपराइटर/ऋणी/बंधककर्ताः** श्री मौहम्मद दिलशाद पुत्र श्री यूसुफ। **ऋणीः 1.** श्री मुस्कान राबिया पत्नी श्री नसीम अहमद। **2.** श्रीमती नजिमा खातून पत्नी श्री महमूद हसन। **गारन्टर/बंधककर्ताः** मौहम्मद अली पुत्र छूटटू खान।	बंधक सम्पत्ति स्थित मौहल्ला- इस्लाम नगर, निकट रोडवेज बस स्टेण्ड, नूरपुर, जिला- बिजनौर (उ0प्र0)। कुल माप क्षेत्रफल 187.20 वर्ग मीटर, विक्रय विलेख दिनांक 28.04.1980, बही नं0 1, पेज नं0 1418 से 1423, क्र0सं0 1855 (सम्पत्ति स्वामी श्री मौहम्मद अली पुत्र छूटटन खान) सब-रजिस्ट्रार ऑफिस चांदपुर, जिला- चांदपुर (उ0प्र0)। सीमाएँः- पूर्वः रास्ता, पश्चिमः हरि सिंह की आराजी, उत्तरः विक्रेता की सम्पत्ति, दक्षिणः चौधरी हरि सिंह की आराजी।	(ए) 18.09.2021 (बी) रू0 22,41,448.96 + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.09.2021 (सी) सांकेतिक	रू0 34,02,000/- रू0 3,40,200/- रू0 1,50,000/-	ज्ञात नहीं
3	**शाखा एआरएमबी, बिजनौर** ऋणीः मैसर्स कल्याण ट्रेडर्स **(ऋणी फर्म)** श्री भीम सिंह पुत्र श्री राम अवतार सिंह **(प्रोपराइटर/ऋणी)** श्री राम औतार पुत्र श्री शिव दास सिंह **(गारन्टर/बंधककर्ता)।**	बंधक सम्पत्ति स्थित ग्राम राजपुर, परगना नहटौर तहसील धामपुर, जिला बिजनौर (उ.प्र.) (सम्पत्ति स्वामी श्री राम औतार सिंह पुत्र श्री शिव दास सिंह) कुल क्षेत्रफल माप 282.40 वर्गमीटर, रिकार्ड बही नं. 01, जिल्द नं. 9735, पेज नं. 375 से 396 सीरियल नं. 24313, दिनांक 17.12.2015 रजिस्टर्ड सब रजिस्ट्रार कार्यालय धामपुर, जिला बिजनौर (उ.प्र.) पर पंजीकृत है। सीमायें- पूर्व- क्रेता की आराजी, पश्चिम- सुरेन्द्र सिंह का प्लॉट, उत्तर- राजपाल सिंह का मकान, दक्षिण- रास्ता 11 फुट चौड़ा, उसके बाद ज्ञानेन्द्र सिंह का मकान।	(ए) 22.03.2022 (बी) रू0 **25,39,464.38** + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.02.2022 (सी) सांकेतिक	रू0 34,85,000/- रू0 3,48,500/- रू0 1,00,000/-	ज्ञात नहीं
4	**शाखा एआरएमबी, बिजनौर** श्री धीर सिंह पुत्र श्री घसीटा सिंह **(उधारकर्ता/बंधककर्ता)**, श्रीमती सुमन लता पत्नी श्री धीर सिंह **(सह-उधारकर्ता)।**	बंधक अचल संपत्ति के सभी भाग व भूखंड, जो एक आवासीय मकान है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर एवं प्रथम तल शामिल हैं, ग्राम टाटरपुर लालू, तहसील नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ0प्र0) में स्थित है, जो श्री धीर सिंह पुत्र श्री घसीटा सिंह के नाम पर दर्ज है। कुल क्षेत्रफल 168.41 वर्ग मीटर है, जो बही नं0 01, जिल्द नं0 999, पृष्ठ संख्या 181-182, क्रम संख्या 3462 दिनांक 31.10.1990, उप-पंजीयक कार्यालय नजीबाबाद, जिला बिजनौर (उ0प्र0) में पंजीकृत है। साइट के अनुसार सीमाएं निम्न प्रकार हैंः उत्तरः 8.25 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिणः कृष्ण कुमार एवं कुमारी संतोष का मकान, पूर्वः मेहर सिंह की भूमि, पश्चिमः बलवंत कौर की आराजी।	(ए) 19.02.2025 (बी) रू0 **29,63,559.41** + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 20.02.2025 (सी) सांकेतिक	रू0 59,41,000/- रू0 5,94,100/- रू0 1,00,000/-	ज्ञात नहीं
5	**शाखा नजीबाबाद चौक, बिजनौर** **उधारकर्ता/बंधककर्ताः** दीप्ति सिंघल पत्नी श्री दीपक सिंघल। श्री दीपक सिंघल पुत्र श्री उमेश चंद सिंघल। **गारंटरः** श्रीमती सुरभि जैन पत्नी श्री धीरज जैन।	बंधक आवासीय क्षेत्र स्थित मोहल्ला- जब्ता गंज, नजीबाबाद, बिजनौर, कुल क्षेत्रफल 117.10 वर्ग मीटर, श्रीमती दीप्ति सिंघल एवं श्री दीपक सिंघल के नाम पर, बही नं0 1, जिल्द नं0 6850, पृष्ठ संख्या 191-210, क्रम संख्या 5227 दिनांक 29.10.2014 में पंजीकृत। सीमाएं निम्न प्रकार हैंः पूर्वः पवन का प्लॉट, पश्चिमः सड़क, उत्तरः विक्रेता की भूमि, दक्षिणः विपिन की भूमि।	(ए) 16.08.2018 (बी) रू0 **22,71,432.00** + ब्याज और अन्य खर्चे दिनांक 01.08.2018 (सी) सांकेतिक	रू0 9,79,000/- रू0 97,900/- रू0 10,000/-	ज्ञात नहीं

सम्पत्ति बिक्रि, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अर्न्तगत लागू नियमों के अधीन व निम्नलिखित नियमों व शर्तों के अनुसार होगी।

1. नीलामी बिक्री ''ई–नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन'' पोर्टल **https://baanknet.com/** होगी। **2.** इच्छुक बोलीदाताओं/क्रेताओं से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी का उपयोग करके पोर्टल **(https://baanknet.com/)** पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, उनसे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करने का अनुरोध किया जाता है। एक बार केवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाता है (जिसमे 5 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाता / क्रेता को ई-नीलामी से पहले तक अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। पोर्टल में समय नीलामी से पहले, केवाईसी दस्तावेजों का पंजीकरण और वॉलेट में ईएमडी के हस्तांतरण को पहले से अच्छी तरह से पूरा किया जाना चाहिए। 3. उपर्युक्त धनराशि जमा (ईएमडी) राशि का भुगतान ऑनलाइन भुगतान 3 मोड अर्थात एनईएफटी/कैश /ट्रांसफर (से चालान जनरेट करने के पश्चात) **(https://baanknet.com/)** के माध्यम से किया जाएगा। किसी भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जाता है, हालांकि कैश / ट्रांसफर के लिए बोली लगाने वाले को पंजाब नेशनल बैंक शाखा का दौरा करना पड़ता है। चेक जैसे किसी अन्य मोड द्वारा ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा। बोलीदाताओं, जिन्होनें ईएमडी की राशि जमा नहीं कराई होगी को उन्हे ऑनलाइन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ई–नीलामी में भाग लेने के लिए जमा की गई ईएमडी की राशि पर कोई देय ब्याज नहीं दिया जाएगा। **4.** ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉम **(https://baanknet.com/)** ई–नीलामी सेवा प्रदाता **M/S PSB Alliance Private Limited द्वारा प्रदान किया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय यूनिट–1, तृतीय तल, वीआईओएस कमर्शियल टॉवर, वडाला टर्मिनल के पास, वडाला ईस्ट मुंबई–400037 (संपर्क टोलफ्री नंबर +91 8291220220, ई–मेलः– psba@psballiance.com)** इच्छुक बोलीदाताओं / क्रेताओं को ई–नीलामी की प्रक्रिया में ई–नीलामी के सेवा प्रदाता की वेबसाइट **https://baanknet.com/** के माध्यम से ई–नीलामी में भाग लेना होगा । 5. यहाँ अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों के विवरण को प्रार्थित अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के लिए कहा गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 6. नीलामी के आगे के नियमों और विनियमों के लिए या तो इन वेबसाइटों पर जाएं या नोडल अधिकारी **श्री अभिनव कुमार, मो0 नं0 98731 00792** से **पंजाब नेशनल बैंक, मण्डल कार्यालयः रिकवरी सेन्टर, निकट तहसील कार्यालय, बैराज रोड, बिजनौर (उ0प्र0)- 246701** मे संपर्क करें। बैंक बिना किसी कारण के नीलामी प्रक्रिया को रद्द / निलंबित करने का अधिकार रखता है। 7. सफल बोलकर्ता को दिये गये खाते में या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा तत्काल नीलामी राशि की 25 प्रतिशत राशि जमा करानी होगी तत्काल या अगले दिन सुबह जमा करानी होगी (जिसमें पूर्व में जमा किया गया ईएमडी को समायोजित कर दिया जायेगा) बयाना राशि को नीलामी की राशि में बाद में समायोजित कर दिया जायेगा। 8. नीलामी की स्वीति के 15 दिनों के भीतर बोली लगाने वाले को 75 प्रतिशत राशि का भुगतान करना होगा। यदि वह शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान दिये गये समय में नहीं कर पाता तो जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी और अनुपस्थित/दोषी व्यक्ति के सम्पत्ति सम्बन्धी सभी दावे या उससे सम्बन्धित दावे जिनकी बोली लगाई जानी है, वह भी खत्म हो जायेंगे। यदि नीलामी वाले दिन को अवकाश घोषित है, तो नीलामी अगले दिन आयोजित की जाएगी। 9. **प्लांट और मशीनरी पर जीएसटी/टीसीएस एवं अन्य कर क्रेता द्वारा वहन किया जायेगा।** 10. सफल बोलीकर्ता को रिजर्व मूल्य के एक क्रम ऊपर (बोली वृद्धि राशि) बोली लगाना अनिवार्य है। 11. यह इच्छुक बोलीदाताओं की जिम्मेदारी है कि वे बिक्री नोटिस, ई-नीलामी के नियम और शर्तें, ई-नीलामी के परिचालन भाग पर सहायता मैनुअल को ठीक से पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें। 12. प्राधिकृत अधिकारियों की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई बाधा नहीं है। हालाँकि, इच्छुक बोलीदातओं, को अपनी बोली जमा करने से पहले नीलामी में रखी गई संपत्ति के भार, श्शीर्षक, संपत्ति के भौतिक क्षेत्र और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र पूछताछ करनी चाहिए। बोली लगाने से पहले किसी भी वैधानिक देनदारियों, कर के बकाया, दावों आदि के बारे में पूछताछ करना। ई-नीलामी विज्ञापन बैंक की ओर से किसी भी प्रतिनिधित्व की प्रतिबद्धता का गठन नहीं करता है और न ही इसे माना जाएगा। संपत्ति सभी मौजूदा और भविष्य की बाधाओं के साथ बेची जा रही है, चाहे बैंक को ज्ञात हो या ना हो। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी दावे/अधिकार/बकाया राशि के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा। 13. बैंक बिक्री के लिए प्रस्तावित संपत्ति के संबंध में या बकाया जल/सेवा शुल्क, स्थानांतरण शुल्क, बिजली बकाया, नगर निगम/स्थान का बकाया जैसे किसी भी अनुमति/लाइसेंस, एनओसी आदि प्राप्त करने की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्राधिकरण/सहकारी हाउसिंग सोसाइटी या उक्त संपत्ति की बिक्री के संबंध में और/या कोई अन्य बकाया, कर, लेवी शुल्क, हस्तांतरण शुल्क यदि कोई हो। सफल बोलीदाता को संपत्ति की खरीद के संबंध में आयकर के प्रावधानों का पालन करना होगा और लागू दरों के अनुसार अधिकारियों को कर का भुगतान करना होगा। 14. बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है/सावधान किया जाता है कि वे अपनी बोलियाँ प्रस्तुत करने से पहले संबंधित राजस्व रिकॉर्ड/अन्य